

राजस्थान सरकार  
मंत्रिमण्डल सचिवालय

क्रमांक: प. 5(1)म.मं./2019

जयपुर, दिनांक: 24.09.2022


आदेश

माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अनुमति से भूमि अवाप्ति के प्रकरणों में 2013 के अधिनियम की धारा 24(2) के अंतर्गत अधिग्रहण कार्यवाही समाप्ति (Deemed Lapsing), भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1894 की धारा 48 के तहत अवाप्ति से मुक्ति एवं अधिसूचित योजनाओं की प्रक्रिया से मुक्त करने के प्रकरणों के निस्तारण हेतु निम्नानुसार मंत्रिमण्डलीय समिति का एतद्वारा गठन किया जाता है:-

- |  |        |
|--|--------|
| 1. श्री शांति कुमार धारीवाल,<br>मा0 मंत्री, स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग | संयोजक |
| 2. श्री रामलाल जाट<br>मा0 मंत्री, राजस्व विभाग   | सदस्य  |
| 3. श्रीमती शकुन्तला रावत<br>मा0 मंत्री, उद्योग विभाग                                   | सदस्य  |
| 4. संबंधित विभाग के मा0 मंत्री जिनका भूमि अवाप्ति का प्रकरण हो                         | सदस्य  |


उक्त समिति का प्रशासनिक विभाग, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग होगा एवं समिति के सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग होंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

  
(जितेन्द्र कुमार उपाध्याय)  
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, राज्यपाल, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान।
3. सचिव (जी.जी.), मुख्यमंत्री, राजस्थान।
4. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, संबंधित मंत्रिगण।
5. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, समस्त मंत्रिगण/राज्य मंत्रिगण।
6. संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
7. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
8. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग।
9. प्रोग्रामर, कम्प्यूटर सैल, सामान्य प्रशासन विभाग, राजस्थान।
10. रक्षित पत्रावली।

  
(श्रीराम मोदी)  
शासन उप सचिव